<u>न्यायालयः-सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला-बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.क्रमांक—968 / 2012</u> संस्थित दिनांक—27.11.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बैहर, तहसील—बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — — <u>अभियोजन</u>

// विरूद्ध //

लक्ष्मीचंद पिता चैतराम झारिया, उम्र 36 वर्ष, निवासी—नरसिंग टोला, थाना बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.) — — — — — — — — — <u>आरोपी</u> — — — — — — — — — — — — — — — —

// <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक-10/12/2014 को घोषित)

- 1— आरोपी के विरूद्ध सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा—4(क) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—20.11.2012 को करीब 5:00 बजे थाना बैहर अंतर्गत में सट्टा पर्ची के माध्यम से अंको अथवा संकेतो पर रूपयों की हार—जीत का दांव लगाकर जुएं का प्रचार प्रसार में सहयोग किया।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि आरक्षी केन्द्र बैहर के सहायक उपनिरीक्षक लक्ष्मीचंद चौधरी को दिनांक—20.11.2012 को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि आरोपी लक्ष्मीचंद अपने घर के सामने मेन रोड के किनारे पैसो का दांव लगवाकर खेल—खिलाकर सट्टा—पट्टी पर अंक लिख रहा है। उक्त सूचना पर वह हमराह स्टाफ तथा गवाहों के साथ मौके पर जाकर घेराबंदी कर आरोपी को सट्टा—पट्टी लिखते हुये पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से एक सट्टा पट्टी, एक डाट पेन तथा 285 रूपये नगदी साक्षियों के समक्ष जप्त किया गया तथा आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफतार किया गया। थाना वापस आकर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक—176/2012 अंतर्गत धारा—4(क) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए। अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध पुलिस द्वारा न्यायालय में अभियोगपत्र पेश किया गया।

आरोपी को सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा-4(क) के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म करना अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा–313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

प्रकरण के निराकरण हेतू निम्नलिखित विचारणीय बिन्दू यह है कि:-4—

क्या आरोपी ने दिनांक-20.11.2012 को करीब 5:00 बजे थाना बैहर अंतर्गत में सद्दा पर्ची के माध्यम से अंको अथवा संकेतो पर रूपयों की हार-जीत का दांव लगाकर जुएं का प्रचार प्रसार में सहयोग किया ?

विचारणीय बिन्दू पर सकारण निष्कर्ष :-

- अनुसंधानकर्ता लक्ष्मीचंद चौधरी (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-20.11.2012 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि लक्ष्मीचंद मेन रोड किनारे अपने घर के सामने पैसो का दांव लगाकर खेल खिलाने की सट्टा पट्टी पर अंको को लिख रहा है। उक्त सूचना पर हमराह स्टाफ के साथ साक्षी सुरजीत, राजू के समक्ष घेराबंदी कर आरोपी लक्ष्मीचंद को सट्टी-पट्टी लिखते पकड़े। उसके द्वारा आरोपी से साक्षियों के समक्ष सट्टा-पट्टी आर्टिकल ए-1 एवं 285 रूपये नगदी, एक लाल रंग का डाट पेन जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 के अनुसार जप्त किया, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा थाना वापस आकर आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांक-176 / 2012 धारा-4(क) सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत लेख की गई थी, जो प्रदर्श पी-7 है, जिस पर उकसे हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा साक्षी सुरजीत, राजू, आरक्षक गजेन्द्र, आरक्षक आशीष के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। उसके द्वारा चालान के साथ दिनांक-20.11.2012 का रवानगी, वापसी सान्हा क्रमांक-1051 व 1061 संलग्न किया गया है। सान्हा कमांक-1061 में आरोपी के द्वारा सट्टा-पट्टी लिखे जाने का खुलासा किया गया है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रकरण में उसके द्वारा घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार नहीं किया गया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है।
- राजू (अ.सा.1), सुरजीत (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये है कि वे आरोपी को नहीं पहचानते। उन्हें घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उन्होने पुलिस के कहने पर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 एवं गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी-2 पर हस्ताक्षर किये थे। पुलिस ने उनके बयान नहीं ली थी। साक्षीगण को पक्ष विरोधी

घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने इस सुझाव सें इंकार किया है कि उनके सामने पुलिस ने घेराबंदी करके आरोपी को पकडा था। साक्षीगण ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि पुलिस ने उनके सामने आरोपी से सट्टा—पट्टी, 285 रूपये नगदी तथा डाट पेन जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी—1 के अनुसार जप्त किया था। साक्षीगण ने उनके सामने पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफतार किये जाने से भी इंकार किया है। साक्षीगण ने जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी—1 एवं गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी—2 पर हस्ताक्षर किया जाना स्वीकार किया है, किन्तु प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उन्होनें थाने पर पुलिस के कहने पर उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिये थे। इस प्रकार साक्षीगण ने जप्ती अधिकारी की किसी भी कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

आरक्षक गजेन्द्र पटले (अ.सा.३) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-20.11.2012 को थाना बैहर में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह भ्रमण के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर सहायक उपनिरीक्षक चौधरी के साथ नरसिंगटोला गया था। आरोपी को सट्टा-पट्टी लिखते हये पकर्ड थे। आरोपी के पास से साक्षियों के समक्ष एक पेन, नगदी 285 / – रूपये जप्त किया गया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उक्त दिनांक को कस्बा भ्रमण के पूर्व रवानगी सान्हा में इन्द्राज किया गया था तथा वापसी पर वापसी सान्हा में इन्द्राज किया गया था। रवानगी सान्हा की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-5 है तथा वापसी सान्हा की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-6 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जिस स्थान पर वे लोग गये थे, वहां पर पान ठेला था, जो आरोपी का नहीं है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि बैंक की जप्तशूदा पर्ची में एक ओर भारतीय स्टेट बैंक और दूसरे ओर भोलाराम नागेश्वर लिखा हुआ है तथा उक्त कागज किसके द्वारा लिखा गया है, उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने पर्ची लिखते हुये नहीं देखा। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके सामने आरोपी से नमूने के तौर पर लिखा हुआ कागज जप्त नहीं किया गया। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है मौके पर कौन गवाह थे, वह उनके नाम नहीं बता सकता। इस प्रकार साक्षी ने रेड पार्टी का सदस्य होकर तथा विभागीय साक्षी होने के बावजूद भी पुलिस की उक्त महत्वपूर्ण कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

9— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में जप्ती अधिकारी की किसी भी कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है। ऐसी दशा में जप्ती अधिकारी की एक मात्र साक्ष्य पर अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने हेतु निर्भर करता है। मामले को सबित किये जाने हेतु किसी निश्चित संख्या में साक्षियों को पेश किया जाना अपेक्षित नहीं होता है, बल्कि एकमात्र साक्षी की विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर भी मामला प्रमाणित हो सकता है। यद्यपि जहां एकमात्र साक्षी की साक्ष्य पर मामला प्रमाणित किये जाने हेतु निर्भरता रहती है वहाँ उक्त एकमात्र साक्षी की

विश्वसनीयता को जांच परख कर उसकी साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना होता है।

10— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत एकमात्र साक्षी जप्ती अधिकारी लक्ष्मीचंद चौधरी (अ.सा.4) ने मामले में की गई सम्पूर्ण कार्यवाही के संबंध में कथन किया है। यद्यपि जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही का समर्थन जप्ती के स्वतंत्र साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। स्वतंत्र साक्षीगण के अलावा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत रेड पार्टी के सदस्य के रूप में विभागीय साक्षी आरक्षक गजेन्द्र पटले (अ.सा.3) की साक्ष्य में करायी है, जिसने मौके पर रवानगी एवं वापसी के संबंध में तथा उसके विरेष्ठ अधिकारी द्वारा जप्ती अधिकारी के रूप में की गई कार्यवाही का समर्थन अपने मुख्य परीक्षण में किया है, किन्तु प्रतिपरीक्षण में उसके सामने सट्टा—पट्टी लिखे जाने, नमूने के तौर पर आरोपी से लिखा हुआ कागज जप्त करने, आरोपी का मौके पर पान ठेला होने के तथ्य का समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार स्वतंत्र साक्षीगण के अलावा जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का समर्थन विभागीय साक्षी ने भी महत्वपूर्ण रूप से अपनी साक्ष्य में नहीं किया है, जिस कारण जप्ती अधिकारी की कार्यवाही संदेहास्पद हो जाती है।

ा— जप्ती अधिकारी लक्ष्मीचंद चौधरी (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में स्वतंत्र साक्षीगण को मौके पर रवानगी के समय साथ लिये जाने अथवा उक्त गवाहों को मौके पर उपलब्ध रहने के संबंध में कोई खुलासा नहीं किया है, जबिक स्वतंत्र साक्षीगण ने एकमत होकर अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि उन्होंनें थाने पर पुलिस के कहने पर दस्तावेजी कार्यवाही पर हस्ताक्षर कर दिये थे और उन्हें घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसी दशा में जप्ती अधिकारी की एकमात्र साक्ष्य से मामले की सबूती हेतु ठोस प्रमाण भार की आवश्यकता थी, जिसे अभियोजन प्रमाणित करने में असफल रहा है। मामले की प्रकृति को देखते हुए सम्पूर्ण जप्ती, गिरफतारी, कायमी व अनुसंधान कार्यवाही को एकमात्र जप्ती अधिकारी के रूप में निष्पादन करने वाले पुलिस अधिकारी की स्वतंत्र साक्षीगण व विभागीय साक्षी की साक्ष्य के समर्थन के अभाव में एवं संदेहास्पद परिस्थितियों को साक्ष्य के दौरान दूर न किये जाने के कारण जप्ती अधिकारी की एकमात्र साक्ष्य के आधार पर अभियोजन का मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता।

12— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला आरोपी के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में सट्टा पर्ची के माध्यम से अंको अथवा संकेतो पर रूपयों की हार—जीत का दांव लगाकर जुएं का प्रचार प्रसार में सहयोग किया। अतः आरोपी को सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा—4(क) के आरोप से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

13— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

14— प्रकरण में जप्तशुदा एक सट्टा—पट्टी, एक डाट पेन मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावें एवं जप्तशुदा राशि 285/— रूपये राजसात की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट (सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट